

-:प्रेस नोट दिनांक 17-07-2021:-

थाना बिसौली जनपद बदायूं

थाना बिसौली पुलिस द्वारा 23 कछुए व अवैध शस्त्र समेत 02 अभिगण को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बदायूं के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान में आज दिनांक 17.07.2021 को थाना बिसौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आसफपुर तिराहे से 02 अभिगण 1. विक्कू पुत्र ओमी 2. विशाल पुत्र राजू निगण मौग चारबाग कस्बा व थाना बिसौली जनपद बदायूं को 23 कछुए व 02 अवैध चाकू समेत गिरफ्तार किया गया तथा अभिगण की मोटरसाइकिल को धारा 307 एमवी एक्ट में सीज किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 281/21 धारा 9/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधि0 व मु0अ0सं0 282/21 एवं मु0अ0सं0 283/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माग न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभिगण का विवरण-

1. विक्कू पुत्र ओमी,

2. विशाल पुत्र राजू निगण मौग चारबाग कस्बा व थाना बिसौली जनपद बदायूं ।

अभिगण का आपराधिक इतिहास-

1. विक्कू उपरोक्त- मु0अ0सं0 281/21 धारा 9/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम व मु0अ0सं0 282/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट,

2. विशाल उपरोक्त- मु0अ0सं0 281/21 धारा 9/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधि0 व मु0अ0सं0 283/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उनिग राजेन्द्र प्रसाद,

2. हेगकाग 259 राजेश प्रताप,

3. काग 1728 आबिद अली,

4. काग 1362 शोभित कुमार थाना बिसौली जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।